



Hostel Superintendent (Minority Affairs Department, Rajasthan)

अल्पसंख्यक मामलात विभाग अपने छात्रावासों में अल्पसंख्यक वर्गों के उन विद्यार्थियों को रखता है जो पढ़ाई के लिए घर से दूर आते हैं, और छात्रावास अधीक्षक उन्हीं छात्रावासों का प्रभारी होता है — भोजन, स्वास्थ्य, अनुशासन, छात्रवृत्ति...



इस करियर की पूरी जानकारी — स्कैन करें

वेतन, परीक्षा, कॉलेज, प्रवेश के रास्ते और आगे के कदम — सब पोर्टल पर।

career.gsssjethantri.in/#/career/raj-hostel-superintendent-minority

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठन्तरी

Govt. Sr. Sec. School, Jethantri · ब्लॉक समदड़ी · बालोतरा (Block Samdari · Balotra)

www.gsssjethantri.in · career.gsssjethantri.in



सुशील कुमार शर्मा

प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. जेठन्तरी · मास्टर ट्रेनर
Principal, GSSS Jethantri · Master Trainer



श्री चेनाराम चौधरी

प्रधानाचार्य, डाइट बाड़मेर
Principal, DIET Barmer



श्रीमती संघमित्रा

वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट बाड़मेर (सहयोग)
Sr. Lecturer, DIET Barmer (Support)



भरत चौधरी

अभिकल्पना व विकास · व्याख्याता (इतिहास)
Designed & developed · Lecturer (History)

विशेष धन्यवाद · SPECIAL THANKS



सुरेन्द्र सिंह राठौड़

व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. कानाना



सुरेश कुमार सैन

व्याख्याता (भूगोल) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा



वनिता कुमारी

व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा



कमलेश चौधरी

व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) · रा.उ.मा.वि. टापरा

करियर मार्गदर्शन कार्यशाला, डाइट बाड़मेर (14-17 जुलाई 2026) में विकसित व लोकार्पित
Developed & unveiled at the Career Guidance Workshop, DIET Barmer (14-17 July 2026)

यह एक स्वतंत्र परियोजना है, जो सरकार की आधिकारिक करियर-मार्गदर्शन सामग्री पर आधारित है। · An independent project based on the Government's official career-guidance content.

1 यह करियर क्या है

अल्पसंख्यक मामलात विभाग अपने छात्रावासों में अल्पसंख्यक वर्गों के उन विद्यार्थियों को रखता है जो पढ़ाई के लिए घर से दूर आते हैं, और छात्रावास अधीक्षक उन्हीं छात्रावासों का प्रभारी होता है — भोजन, स्वास्थ्य, अनुशासन, छात्रवृत्ति के अभिलेख और भवन की देखरेख उसी की ज़िम्मेदारी है। सेवा नियम 2017 के अनुसार इस पद पर भर्ती आवेदन आमंत्रित कर लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाती है, और सी.ई.टी. नियम 2022 इसे वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की सी.ई.टी. में रखते हैं। एक बात स्पष्ट रहे — सामाजिक न्याय विभाग का छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II इससे अलग पद है, अलग नियमों और अलग आयु-सीमा के साथ।

2 एक नज़र में

न्यूनतम योग्यता	वरिष्ठ माध्यमिक (अथवा पुरानी योजना की हायर सैकण्डरी) + कंप्यूटर योग्यता ("ओ" लेवल, सी.ओ.पी.ए./डी.पी.सी.एस., कंप्यूटर में डिप्लोमा अथवा आर.एस.-सी.आई.टी.) + सी.ई.टी. वरिष्ठ माध्यमिक स्तर
भर्ती संस्था	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आर.एस.एस.बी.), जयपुर
आयु-सीमा	अधीनस्थ सेवा के पदों हेतु 18 वर्ष; ऊपरी सीमा 40 वर्ष (राज्य सेवा के पदों हेतु न्यूनतम 21 वर्ष) — आरक्षित वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु-सीमा में छूट मिलती है (विवरण नीचे)
आरंभिक वेतन	पे मैट्रिक्स स्तर आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं — विज्ञप्ति देखें
माँग	विभाग के अल्पसंख्यक छात्रावासों में पद; 2024 में पूर्ण विज्ञप्ति जारी हुई थी

3 क्या-क्या चाहिए

रुचियाँ

- बच्चों एवं किशोरों के साथ काम करना
- शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के काम में रुचि
- व्यवस्था एवं अभिलेख का काम सँभालना

क्षमताएँ

- विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के साथ संवेदनशीलता से पेश आना
- आपात स्थिति में शांत रहकर निर्णय लेना
- हिसाब-किताब एवं अभिलेख में पारदर्शिता

ज़रूरी कौशल

- छात्रावास के भोजन, मेस एवं गुणवत्ता का प्रबंधन
- अल्पसंख्यक कल्याण की छात्रवृत्ति एवं योजनाओं की जानकारी
- अभिभावकों, विद्यालय एवं विभाग के बीच समन्वय
- पढ़ाई का अनुशासित माहौल बनाना
- प्रवेश, उपस्थिति एवं छात्रवृत्ति के अभिलेख रखना
- कंप्यूटर पर विभागीय पोर्टल एवं ऑनलाइन प्रविष्टि
- भवन, बिजली-पानी एवं सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख

4 कैसे पहुँचें

- 1 कक्षा 12 किसी भी संकाय से उत्तीर्ण करें।
- 2 आर.एस.एस.बी. की सी.ई.टी. वरिष्ठ माध्यमिक स्तर परीक्षा उत्तीर्ण करें — सी.ई.टी. नियम 2022 इस पद को इसी स्तर पर रखते हैं। स्नातक स्तर की सी.ई.टी. इस पद के लिए नहीं है।
- 3 कंप्यूटर योग्यता प्राप्त करें — नियम "ओ" अथवा उच्चतर स्तर का प्रमाण-पत्र, सी.ओ.पी.ए./डी.पी.सी.एस., कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, अथवा वी.एम.ओ.यू. कोटा का आर.एस.-सी.आई.टी. स्वीकार करते हैं। यह वैकल्पिक नहीं, योग्यता का दूसरा आधा हिस्सा है।
- 4 एस.एस.ओ. पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करें और लिखित परीक्षा दें — नियम 23 के अनुसार यह पद लिखित परीक्षा से ही भरा जाता है।
- 5 दस्तावेज़ सत्यापन के बाद छात्रावास में कार्यभार लें।

प्रमुख परीक्षाएँ

- सी.ई.टी. वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (आर.एस.एस.बी.) — सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूची-II में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के छात्रावास अधीक्षक का नाम दर्ज है। अंक 3 वर्ष तक मान्य।
- लिखित परीक्षा — सेवा नियम 2017 के नियम 23 के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन आयोग, बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं और पद लिखित परीक्षा से भरा जाता है।
- परीक्षा की योजना (नियम 23 के अंतर्गत अनुसूची-III) — लिखित परीक्षा 100 अंकों की, अवधि 2 घंटे, तथा प्रश्न बहुविकल्पीय। विषय एवं अंक — सामान्य हिंदी 15, गणित 15, कंप्यूटर 10, तथा राजस्थान के सामाजिक पक्ष, भूगोल, इतिहास एवं संस्कृति के विशेष संदर्भ के साथ सामान्य ज्ञान 60 अंक।
- स्तर एवं न्यूनतम अंक — प्रश्न-पत्र वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का होता है, केवल गणित माध्यमिक स्तर का। जो अभ्यर्थी न्यूनतम 40% अंक प्राप्त नहीं करता, वह इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा — यह नियमों में स्पष्ट लिखा है।

- ऊपरी आयु-सीमा में छूट — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; तथा इन्हीं वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी पद के आगे लिखी बिना छूट वाली आयु किसी आरक्षित वर्ग की महिला के लिए दस वर्ष कम बताती है — यदि आप उस श्रेणी में हैं तो अपनी पात्रता छूट जोड़कर ही तय करें। राजस्थान में सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% पद श्रेणीवार आरक्षित रहते हैं। विधवा एवं परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु-सीमा नहीं — नियमों में यही शब्द हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 13(9) में, तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों के इसी परंतुक में यह प्रावधान दर्ज है, और आर.पी.एस.सी. की विज्ञप्तियाँ भी इसे दोहराती हैं। विधवा को सक्षम अधिकारी से पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र और परित्यक्ता को तलाक का प्रमाण देना होता है। छूट एवं आरक्षण की सटीक शर्तें उसी भर्ती की विज्ञप्ति में दी जाती हैं।

5 कहाँ से पढ़ें

सरकारी संस्थान

- Government Senior Secondary Schools — Class 12 in any stream — हर ब्लॉक में
- Government colleges of Rajasthan — for a degree, if the advertisement asks for one — हर ज़िले में (<https://hte.rajasthan.gov.in/>)
- Government ITI — COPA / DPCS trade, for the computer certificate — राजस्थान के सभी ज़िले

ऑनलाइन

- अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान — छात्रावास, छात्रवृत्ति एवं विभागीय योजनाएँ (<https://minority.rajasthan.gov.in/>)
- राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017 — इस पद को शासित करने वाला मूल दस्तावेज़ (https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/modulCategory/202310060535512490071minority2017_merged)
- आर.एस.एस.बी. — पिछले प्रश्न-पत्र, उत्तर कुंजी व पाठ्यक्रम (निःशुल्क) — राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक साइट — तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद निःशुल्क सामग्री (https://rsmssb.rajasthan.gov.in/show_archived?menuName=Xj4lCb9vGxpQnfls%2FxlZ2g%3D%3D)

- विभागीय सेवा नियम (कार्मिक विभाग) — पद की योग्यता व आयु मूल दस्तावेज़ में पढ़ें — कार्मिक विभाग हर संवर्ग के सेवा नियम प्रकाशित करता है। किसी भी कोचिंग सामग्री से पहले यही पढ़ें — योग्यता, आयु और भर्ती की विधि यहीं तय होती है। (<https://dop.rajasthan.gov.in/>)
- स्वयं (SWAYAM) — भारत सरकार के निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स — निःशुल्क (<https://swayam.gov.in/>)
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) — निःशुल्क पुस्तकें व अध्ययन सामग्री (<https://ndli.iitkgp.ac.in/>)
- एन.सी.ई.आर.टी. — निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें — सामान्य ज्ञान, गणित व विज्ञान की नींव (<https://ncert.nic.in/>)

फीस

सरकारी विद्यालय से कक्षा 12 तक की पढ़ाई लगभग निःशुल्क है और सरकारी महाविद्यालय से स्नातक की फीस लगभग ₹3,000 – ₹15,000 प्रति वर्ष रहती है। सी.ई.टी. एवं लिखित परीक्षा का शुल्क कुछ सौ रुपये है, आरक्षित वर्गों को छूट मिलती है। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल तथा राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं से पढ़ाई का खर्च कम किया जा सकता है — यही विभाग वे योजनाएँ चलाता है जिसमें यह पद है।

छात्रवृत्तियाँ

- Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana (free coaching, apply via SSO) (<https://sso.rajasthan.gov.in/signin>)
- Rajasthan Social Justice and Empowerment Dept scholarships (<https://sje.rajasthan.gov.in/>)
- National Scholarship Portal (NSP) (<https://scholarships.gov.in/>)
- Buddy4Study scholarship search (<https://www.buddy4study.com>)

6 काम कैसा होता है

कहाँ काम

अल्पसंख्यक मामलात विभाग के बालक एवं बालिका छात्रावास तथा आवासीय विद्यालय, प्रायः ज़िला या तहसील मुख्यालय पर। कुछ छात्रावास महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए भी होते हैं।

कार्य-संस्कृति

अधीक्षक प्रायः छात्रावास परिसर में ही रहता है और रात में भी उपलब्ध रहना पड़ता है। सत्र आरंभ, प्रवेश एवं छात्रवृत्ति की अंतिम तिथियों पर अभिलेख का काम भारी हो जाता है। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि विविध होती है, इसलिए संवेदनशीलता और निष्पक्षता दोनों ज़रूरी हैं। बालिका छात्रावासों में महिला अधीक्षक की नियुक्ति होती है।

कौन नौकरी देता है

- | | |
|---|--|
| • अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार | • विभाग के बालक एवं बालिका छात्रावास |
| • राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम | • ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय |
| • अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय एवं मदरसा शिक्षा से जुड़ी संस्थाएँ | • वक्रफ़ बोर्ड से संबद्ध शैक्षिक संस्थान |

माँग (2026)

विभाग प्रदेश में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रावास चलाता है और हर छात्रावास पर अधीक्षक का पद स्वीकृत रहता है। बोर्ड ने 2024 में इस पद के लिए पूर्ण विज्ञप्ति जारी की थी, जिससे यह भर्ती सक्रिय है। यह संवर्ग सामाजिक न्याय विभाग के छात्रावास संवर्ग से छोटा है, इसलिए पदों की संख्या भी कम रहती है — पर सी.ई.टी. का स्तर वरिष्ठ माध्यमिक होने के कारण यह उन विद्यार्थियों के लिए भी खुला है जिनके पास स्नातक की डिग्री नहीं है, बशर्ते विज्ञप्ति की योग्यता पूरी हो। एक बात स्पष्ट रहे — ऊपर दी गई "माँग" पदों की संख्या बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। चयन खुली प्रतियोगिता से होता है और आवेदन करने वालों की संख्या पदों से कई गुना अधिक रहती है, इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी किसी एक भर्ती में चयनित नहीं हो पाते। यह इस करियर के विरुद्ध तर्क नहीं है — बस इसे अपनी एकमात्र योजना न बनाएँ। तैयारी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखें या कोई कौशल सीखें, ताकि परिणाम चाहे जो हो, वर्ष व्यर्थ न जाए।

7 आगे बढ़ने का रास्ता

- 1 छात्रावास अधीक्षक (परिवीक्षाधीन) — छात्रावास में नियुक्ति
- 2 विभागीय पर्यवेक्षी पद — कार्यक्रम अधिकारी की श्रेणी
- 3 ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
- 4 सहायक निदेशक एवं उससे ऊपर के पद, पदोन्नति के माध्यम से

कमाई

शुरुआत	विज्ञप्ति में घोषित पे मैट्रिक्स स्तर के अनुसार
मध्य स्तर	₹30,000 – ₹40,000 (भत्तों सहित, कुछ वर्षों बाद)
वरिष्ठ स्तर	₹45,000 से अधिक (भत्तों सहित, पदोन्नति के बाद)

इस पद पर प्रायः छात्रावास परिसर में विभागीय आवास मिलता है, जो नकद वेतन में नहीं गिना जाता पर खर्च में बड़ा अंतर बनाता है। शुरुआती वेतन का आँकड़ा मूल वेतन है, ताकि इसे दूसरे करियर के साथ सीधे तुलना किया जा सके। इस पर महँगाई भत्ता (1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60%) एवं मकान किराया भत्ता अलग से जुड़ते हैं, इसलिए हाथ में आने वाली राशि इससे काफ़ी अधिक होती है। मध्य-स्तर व वरिष्ठ स्तर के आँकड़े भत्तों सहित अनुमानित मासिक आय हैं, मूल वेतन नहीं। ध्यान दें — राजस्थान में सीधी भर्ती से लगे कर्मचारी पहले 2 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रहते हैं और इस अवधि में वेतनमान नहीं, बल्कि एक नियत पारिश्रमिक मिलता है; इन दो वर्षों में महँगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता देय नहीं होते (राजस्थान सेवा नियम, नियम 7(30क))। पूरा वेतनमान परिवीक्षा पूरी होने के बाद लागू होता है। इस पद का पे मैट्रिक्स स्तर इस पृष्ठ पर आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं किया जा सका — न सेवा नियमों में, न सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूची में। इसलिए यहाँ कोई स्तर नहीं लिखा गया है। सही आँकड़ा उस भर्ती की आधिकारिक विज्ञप्ति में दिया जाता है; आवेदन से पहले उसे अवश्य देखें। ऊपर दिए गए आँकड़े राजस्थान के सातवें वेतन मैट्रिक्स पर आधारित हैं, जो 17 अगस्त 2026 तक लागू है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की शर्तें 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत हुई थीं और आयोग को गठन से 18 माह के भीतर सिफ़ारिशें देनी हैं। राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ, और कुछ देर से, लागू करती हैं — इसलिए राजस्थान का वेतनमान भी आगे संशोधित होगा, यद्यपि कब और कितना, यह अभी तय नहीं है।

8 अच्छी बातें · चुनौतियाँ

अच्छी बातें

- सी.ई.टी. का स्तर वरिष्ठ माध्यमिक है, स्नातक स्तर नहीं — प्रवेश का रास्ता जल्दी खुलता है
- ऊपरी आयु-सीमा 40 वर्ष, जो इस पोर्टल के कई पदों से कहीं अधिक उदार है
- प्रायः विभागीय आवास और सीधा सामाजिक प्रभाव

चुनौतियाँ

- संवर्ग छोटा है, इसलिए हर वर्ष भर्ती नहीं निकलती
- आवासीय ज़िम्मेदारी और रात में भी उपलब्ध रहने की अपेक्षा
- न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य हैं — इससे कम अंक पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र ही नहीं रहता

9 अगर यह रास्ता न बने तो

एक परीक्षा या एक प्रयास से रास्ता बंद नहीं होता। इन्हीं विषयों से ये रास्ते भी खुलते हैं — इनमें प्रवेश आमतौर पर आसान होता है और आगे चलकर इसी क्षेत्र में लौटा जा सकता है।

- छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान)
- ग्रामीण विकास विशेषज्ञ
- पर्यवेक्षक (महिला) — समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान

10 स्रोत व आगे पढ़ें

1. राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017 (कार्मिक विभाग) — https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/modulCategory/202310060535512490071minority2017_merged.pdf
2. सी.ई.टी. नियम 2022 — अनुसूची-II में छात्रावास अधीक्षक (अल्पसंख्यक) — https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/modulCategory/202307180332158017147CET-18-7-2023_merged.pdf
3. अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार — <https://minority.rajasthan.gov.in/>
4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आधिकारिक) — <https://rssb.rajasthan.gov.in/>
5. कार्मिक विभाग, राजस्थान — सेवा नियम — <https://dop.rajasthan.gov.in/>
6. आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग — मंत्रिमंडल की स्वीकृति (पी.आई.बी., 28 अक्टूबर 2025) — <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183289>



और 770+ करियर — पूरा पोर्टल

रुचि व योग्यता परीक्षण, सरकारी नौकरियाँ, कौशल पाठ्यक्रम, बायोडाटा बनाने की सुविधा — सब मुफ्त, बिना लॉगिन, इंटरनेट के बिना भी।

career.gsssjethantri.in